

झारखण्ड लोक सेवा आयोग,
सर्कुलर रोड, राँची

“प्रेस विज्ञप्ति”

झारखण्ड लोक सेवा आयोग कार्यालय में भाड़े पर वाहन लेने के संबंध में।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के माननीय सदस्यों तथा आमंत्रित विशेषज्ञों के परिवहन हेतु इच्छुक प्रतिष्ठान/फर्म से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इससे संबंधित विस्तृत निविदा विवरणी आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर जारी कर दिया गया है।

ह0 / -

सचिव

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची

झारखण्ड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड, राँची।

अति अल्पकालीन निविदा

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची द्वारा भाड़े पर वाहन लिये जाने हेतु केवल व्यावसायिक रूप से निबंधित फर्मों से ए0सी0 एवं नॉन ए0 सी0 वाहनों के मासिक किराये एवं दैनिक किराये के दर निर्धारण हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक-28.07.2020 को अपराह्न 05.00 बजे तक सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के नाम से आमंत्रित की जाती है।

2. वाहन का प्रकार निम्नवत होगा :- इनोवा, बोलेरो, टाटा सुमो, सियाज, टाटा टियागो, टाटा टिगोर स्विफ्ट डिजायर, टाटा जेस्ट, हुण्डइ i-10, हुण्डइ i-20, Xcent, टोयोटा इटियोस।
3. निविदा दो लिफाफे में देना होगा। एक लिफाफे में तकनीकी निविदा (सारे कागजातों के साथ) तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा देना अनिवार्य होगा। पहले लिफाफे पर भाड़े पर वाहन लिये जाने से संबंधित तकनीकी निविदा एवं दूसरे लिफाफे पर भाड़े पर वाहन लिये जाने से संबंधित वित्तीय निविदा लिखना होगा।

तकनीकी निविदा

- i. तकनीकी निविदा के साथ झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के नाम से 20,000.00 (बीस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन राशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ii. तकनीकी निविदा के साथ बीमा भुगतान की रसीद एवं पथ कर भुगतान की रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- iii. निविदादाता का फर्म/एजेन्सी निबंधित होना चाहिए। तत्संबंधी स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- iv. तकनीकी निविदा के साथ आयकर पैन संख्या एवं GST No. की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- v. तकनीकी निविदा के साथ निविदादाता को भाड़े पर वाहन देने संबंधी न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्रमाण - पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। सरकारी कार्यालय/प्रतिष्ठान में कार्यरत निविदादाताओं द्वारा तत्संबंधी प्रमाणपत्र देने पर प्राथमिकता दिये जाने पर विचार किया जायेगा।
- vi. निविदादाता का वार्षिक टर्नओवर विगत वित्तीय वर्ष में 30 (तीस) लाख होना अनिवार्य है जिसका चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा निर्गत Balance Sheet की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- vii. संस्था द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notary द्वारा) संलग्न करना होगा कि उनका संस्थान/फर्म काली सूची में दर्ज नहीं है।

वित्तीय निविदा

वित्तीय निविदा में नीचे अंकित विवरण अनुसार वाहन वार मासिक किराया (सभी कर सहित तथा चालक के पारिश्रमिक, ईजन ऑयल इत्यादि तथा ईंधन सहित) अंकित करना आवश्यक है।

क्रमांक	वाहन प्रकार	का	मॉडल नं0 (निविदादाता द्वारा भरा जाना है)	कार्य दिवसों की संख्या	मासिक किराया दर (ईंधन तथा अन्य खर्चों सहित) (बेस किलोमीटर:- 1500 किलोमीटर)		15 00 किलोमीटर के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का दर	
					ए0 सी0	नॉन ए0 सी0	ए0 सी0	नॉन ए0 सी0
1	2			3	4	5	6	7
1.	इनोवा,			पूर्ण माह				
2.	बोलेरो							
3.	टाटा सुमो							
4.	सियाज							
5.	टाटा टियागो							
6.	टाटा टिगोर							
7.	स्विफ्ट डिजायर							
8.	टाटा जेस्ट							
9.	हुण्डइ i-10							
10.	हुण्डइ i-20							
11.	Xcent							
12.	टोयोटा इटियोस							

वित्तीय निविदा में नीचे अंकित विवरण अनुसार वाहन वार दैनिक किराया (सभी कर सहित तथा चालक के पारिश्रमिक, ईंजन ऑयल इत्यादि तथा ईंधन सहित) अंकित करना आवश्यक है।

क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल नं० (निविदादाता द्वारा भरा जाना है)	कार्य दिवसों की संख्या	प्रति दिन दर (ईंधन तथा अन्य खर्चों सहित) (बेस किलोमीटर— 80 किलोमीटर)		80 किलोमीटर के अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का दर	
				ए० सी०	नॉन ए० सी०	ए० सी०	नॉन ए० सी०
1	2		3	4	5	6	7
1.	इनोवा		प्रति दिन				
2.	बोलेरो						
3.	टाटा सुमो						
4.	सियाज						
5.	टाटा टियागो						
6.	टाटा टिगोर						
7.	स्विफ्ट डिजायर						
8.	टाटा जेस्ट						
9.	हुण्डइ i-10						
10.	हुण्डइ i-20						
11.	X-cent						
12.	टोयोटा इटियोस						

- उपरोक्त विवरण केवल वित्तीय निविदा के सीलबंद लिफाफे में ही दिया जायेगा।
- निविदादाता को वित्तीय बिड में राशि अंक में तथा शब्दों में अंकित करना होगा। यदि अंकित अंक तथा शब्द के बीच किसी प्रकार की भिन्नता पायी जाती है तो शब्द में अंकित राशि मान्य होगी।

निविदा की सामान्य शर्तें :-

- i. झारखण्ड सरकार के परिवहन विभाग द्वारा केवल व्यावसायिक रूप से निबंधित वाहन ही किराये पर लिये जा सकेंगे।
- ii. वाहन का निबंधन वर्ष तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन का निबंधन व्यावसायिक होना चाहिये।
- iii. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा Covid-19 के तहत निर्गत प्रोटोकॉल के अंतर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन आपूर्तिकर्ता द्वारा अक्षरशः किया जायेगा।
- iv. वाहन के मासिक/दैनिक विपत्र में नियमानुसार GST के रूप में देय राशि का उल्लेख करना होगा।
- v. ईंधन की आपूर्ति निविदादाता को करना होगा।
- vi. चालक का अद्यतन झाईविंग लाईसेंस (LMV का) होना चाहिए।
- vii. वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर आपूर्तिकर्ता को अविलंब उसी प्रकार के वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था एक घंटा के अंदर करनी होगी। यदि आपूर्तिकर्ता वाहन उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होगा तो आयोग को अधिकार होगा कि वह किसी अन्य एजेंसी से तत्काल भाड़े पर वाहन लें तथा उसका पूरा व्यय आपूर्तिकर्ता को करना होगा।
- viii. वाहन उपयोग के दौरान वाहन चालक अथवा वाहन को किसी प्रकार की दुर्घटना से होने वाले क्षति का दायित्व आयोग का नहीं होगा।
- ix. अनुबंध के समय आपूर्तिकर्ता को लिखित अंडरटेकिंग समर्पित करना होगा कि चालक का भुगतान उनके द्वारा बैंक अकाउन्ट के माध्यम से किया जायेगा जिसकी प्रति अनुवर्ती माह के विपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। चालकों को किये जाने वाले पारिश्रमिक का भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। यदि विभाग को यह शिकायत प्राप्त होती है कि श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है तथा जाँच में सही पाये जाने पर विभाग कार्रवाई करने के लिये स्वतंत्र होगा।
- x. सफल निविदादाता को एकरारनामा संपादित होने के एक सप्ताह के अंदर वाहनों की आपूर्ति करनी होगी। यदि निविदादाता वाहनों की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं होंगे तो उनका अनुबंध/एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा तथा उनकी अग्रधन राशि जप्त कर ली जायेगी।
- xi. वैसे निविदादाता जिनकी निविदा अस्वीकृत हो जाती है, को उनके द्वारा जमा अग्रधन राशि वापस कर दी जायेगी।
- xii. भाड़े पर दिये जाने वाले वाहन पूर्व में दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहिए। वाहन यांत्रिक रूप से सही होना चाहिए एवं सही तथा सुरक्षित दशा में होना चाहिए।
- xiii. आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक वाहन का प्रतिदिन के प्रविष्टियों का लॉग बुक संधारण करना होगा (यथा आरंभ कि०मी० रीडिंग, अंत कि०मी० रीडिंग, कुल तय की गयी दूरी, आरंभ समय तथा अंत समय इत्यादि)। वाहन के प्रत्येक परिचालन पर चालक एवं वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर अंकित होना चाहिए। जिसका सत्यापन आयोग के वाहन प्रभारी से प्रतिदिन कराया जायेगा।

- xiv. वाहन में किसी प्रकार की मरम्मत एवं रख-रखाव आपूर्तिकर्ता को स्वयं करनी होगी।
- xv. वाहन से संबंधित सारे पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि कागजात चालक के जिम्मे होना चाहिए।
- xvi. यदि कोई चालक अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो आपूर्तिकर्ता को उसके स्थान पर अविलंब अन्य किसी चालक की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। यदि दूसरे चालक द्वारा रिपोर्ट करने में विलंब होता है तो प्रति घंटा 100/- रुपये की दर से भुगतान में कटौती की जायेगी। यदि चालक द्वारा पूरे दिन में रिपोर्ट नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में पूरे दिन हेतु 1000/- रुपये की कटौती भुगतान में से की जायेगी।
- xvii. चालक का आचरण अपराध रहित होना चाहिए। विभाग द्वारा आवश्यकता पड़ने पर चालक का पुलिस भेरिफिकेशन कराया जा सकता है। चालक को स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।
- xviii. आपूर्तिकर्ता को चालक को कुछ नगद राशि सुलभ कराना होगा ताकि आकस्मिक परिस्थिति में वाहन में किसी प्रकार की खराबी होने पर चालक द्वारा उसकी अविलंब मरम्मत करा ली जाय।
- xix. वाहन के सुरक्षित रखने की सारी जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता की होगी।
- xx. वाहन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में ईंधन सुलभ रहना चाहिए।
- xxi. वाहन का उपयोग सामान्यतः कार्य दिवसों में किया जायेगा। परन्तु आवश्यकता पड़ने पर वाहन का उपयोग किसी भी समय (अवकाश के तिथियों सहित) किया जा सकता है। अतः मासिक दर पर वाहन 30/31x24 के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे एवं दैनिक दर पर 24 घंटे के आधार पर कराये जायेंगे।
- xxii. वाहन अथवा वाहन चालक को बदलने से पूर्व आपूर्तिकर्ता को सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा बिना अनुमति के आपूर्तिकर्ता द्वारा चालक अथवा वाहन को नहीं बदला जायेगा।
- xxiii. वाहन के आगे तथा पीछे भाग में झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची का बोर्ड आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर लगाना होगा।
- xxiv. प्रत्येक सप्ताह आपूर्तिकर्ता को वाहन में लगे तौलिया का धुलाई कराना होगा।
- xxv. वाहन में साफ तौलिया, रेडियो, कार परफ्यूम, मोबाईल चार्जर उपलब्ध रहना चाहिए तथा मानसून समय में वाहन में छाता की सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए।
- xxvi. आपूर्तिकर्ता द्वारा भाड़े पर दिये गये वाहन झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के निदेशानुसार लगाये जायेंगे तथा बिना अनुमति के आपूर्तिकर्ता द्वारा वाहन का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- xxvii. चालक की सेवा संतोषप्रद नहीं रहने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को चालक को बदलना होगा।
- xxviii. बिना कारण बताये निविदा को अधोहस्ताक्षरी द्वारा रद्द किये जाने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- xxix. आयोग द्वारा निर्धारित मासिक किराया एवं प्रति दिन किराया के अलावे निविदादाता को अलग से किसी भी तरह की राशि देय नहीं होगी।

- xxx. क्रय समिति द्वारा स्वीकृत यह निविदा न्यूनतम एक वर्ष अथवा अगली निविदा के अनुमोदित होने तक मान्य रहेगा।
- xxxi. किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में आयोग/कार्यालय प्रधान को विपत्र में से आवश्यक कटौती करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

भुगतान का प्रकार

- i. आपूर्तिकर्ता को वाहनवार मासिक राशि भुगतान हेतु प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पिछले माह का विपत्र (लॉग बुक के साथ) प्रस्तुत करना होगा।
- ii. सभी प्रकार का टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा की जायेगी।
- iii. किसी वाहन के संतोषजनक परिचालन नहीं रहने की स्थिति में विभाग/कार्यालय प्रधान को अधिकार सुरक्षित होगा कि संबंधित वाहन का मासिक या आंशिक भुगतान अवरूद्ध रखे।
- iv. वाहनवार विपत्र से अनुमान्य आयकर तथा सरकार को देय करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
- v. वाहन का प्रतिमाह परिचालन 1500 किलोमीटर होगा। निर्धारित अधिसीमा से अधिक परिचालन की स्थिति में, आपूर्तिकर्ता को प्रति किलोमीटर का अलग दर वित्तीय बिड में समर्पित करना होगा।
- vi. प्रत्येक माह का वाहन परिचालन का बेस किलोमीटर 1500 किलोमीटर होगा। गणना त्रैमासिक होगी यथा यदि किसी माह में वाहन का परिचालन निर्धारित अधिसीमा से अधिक हुआ है एवं अगले दो माहों में वाहन का परिचालन कम हुआ है, तो अधिक परिचालन का समायोजन उसी क्वार्टर के अगले माहों में या अगले त्रैमासिकों में कर लिया जायेगा। प्रथम त्रैमासिक का तात्पर्य एकरारनामा संपादित उपरांत पहला तीन माह।

उदाहरण निम्नवत होगा :-

माह	बेस किलोमीटर प्रतिमाह	कुल किलोमीटर प्रति माह	अतिरिक्त/बचत किलोमीटर	देय राशि
1	2	3	4	5
1	1500 किलोमीटर	1600 किलोमीटर	100 कि०मी० अतिरिक्त	1500 कि०मी० का दर
2	1500 किलोमीटर	800 किलोमीटर	700 कि०मी० बचत	1500 कि०मी० का दर
3	1500 किलोमीटर	1000 किलोमीटर	500 कि०मी० बचत	1500 कि०मी० का दर

उक्त क्वार्टर के प्रथम माह में वाहन का परिचालन 100 किलोमीटर अधिक हुआ है तथा शेष दो माहों में वाहन का परिचालन 1200 कि०मी० कम हुआ है। अतः कुल बचत 1100 किलोमीटर का समायोजन अगले त्रैमासिकों में वाहन के अधिक परिचालन की स्थिति में किया जायेगा।

कार्यक्रम :-

“निविदा” समर्पित करने की अंतिम तिथि- 28.07.2020 को अप० 05.00 बजे तक है।

“तकनीकी बीड” खोलने की तिथि- 29.07.2020 को अप० 03.00 बजे है।

“वित्तीय बीड” खोलने की तिथि- 30.07.2020 को अप० 03.00 बजे है।

“निविदा” समर्पित करने का स्थान झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची का कार्यालय में कार्य दिवस के अप० 05.00 बजे तक है।

अंतिम तिथि के बाद समर्पित “निविदा” पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को “निविदा” को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह०/-

सचिव

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची